North Zone Cultural Centre, Patiala

North Zone Young folk artists Award Rules

- 1- This award can be given to any folk artist dedicate for the folk arts of the member states of North Zone Cultural Centre Rajasthan, Haryana, Punjab, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Union Territory of Chandigarh, Jammu & Kashmir and Ladakh. Their contribution / work should be based on the folk arts of the member states and Union Territories.
- 2- The age of the folk artist should not be more than 40 years on the last date of application. If any artist has received any award from any other Zonal Cultural Centre or Sangeet Natak Academy, New Delhi or Lalit Kala Academy, New Delhi or National School of Drama in which cash amount is also awarded (whatever be the amount) or has received Padma award of any category, then such folk artist will be ineligible for this award.
- 3- The folk artist should be an Indian citizen.
- 4- Number of Awards The total number of awards to be given to artists of folk arts will be 2 (two) which will be given every year.
- 5- Since these awards are for folk arts, the main profession of the folk artist should be folk arts or the work should be dedicated to folk arts, accidental work done or any other accidental achievement cannot be a qualification for this award.
- 6- Prize money The amount of each award will be Rs. 1,00,000/- (Rupees one lakh only). The awardee will be given a cheque of Rs. 1,00,000/- (Rupees one lakh only) and a silver plaque ceremonially.

- 6(a) If more than one folk artist is selected for one award, then this amount will be divided equally among all of them. 6(b) The prize money will be given by the Chairman of North Zone Cultural Centre and His Excellency Governor of Punjab out of discretionary fund of Honourable Governor Punjab.
- 6(c) The expenses on travel and stay (maximum two persons for each prize winner) for the function will be borne by North Zone Cultural Centre.
- 6(d) If any income tax is payable on the award amount, its TDS can be deducted as per rules.
- 7- Active in the last ten years The award can be given only to that person who has been prominently active in the preservation and promotion of folk arts at least in the last ten years and has dedicated his life to folk arts.
- 8- Award Committee The selection for the award will be done by the Award Committee constituted for this purpose. The committee will be constituted by the Chairman, North Zone Cultural Centre and the Hon'ble Governor, Punjab. Three folk art experts from the member states and union territories of the Centre will be nominated on the committee.
- 8(a) The committee will have five members and its Chairman will be the Secretary/Principal Secretary to the Governor of Punjab and the Member Secretary will be the Director, North Zone Cultural Centre.
- 8(b) All decisions will be taken by majority.
- 9- Application for the award Applications for the award will be called for through newspapers and the committee will submit its recommendations after deliberation on the received applications.
- 9(a) The committee will have full authority to consider and recommend any name other than the applications received but the reasons for the same will have to be recorded.
- 9(b) If the Award Committee does not find any suitable artist for the award in any year, it is not necessary that the award be given in/for that year.
- 10- The format of advertisement for application for the award will be prepared by the Member Secretary and sent to the office of Secretary/Principal Secretary, Governor, which, in the event of approval, will be advertised by North Zone Cultural Centre. It will also be

shared on the Centre's website and all social media platforms so that maximum number of folk artists can get information about it.

- 11- Final Decision The recommendation of the names selected by the committee will be sent in a sealed envelope to the Hon'ble Governor, Punjab and Chairman, North Zone Cultural Centre, who will have full authority to accept, reject or send back the recommendation to the committee for reconsideration. The decision of the Chairman will be final which cannot be challenged through any judicial proceedings.
- 12- Transparency and Confidentiality The entire process of application for the award will be kept transparent and the recommendations of the selection committee will be recorded but for the honour and respect of the artist selected for the award, the selected name will be kept confidential by all parties till the final announcement.

उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंन्द्र, पटियाला

उत्तर क्षेत्र युवा लोक कला पुरस्कार नियम

1- यह पुरस्कार उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के सदस्य राज्यों - राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, जम्मु एवं कश्मीर तथा लददाख की लोक कलाओं पर कार्य करने वाले किसी भी लोक कलाकार को दिया जा सकता है । उनका योगदान/कार्य सदस्य राज्यो एवं केन्द्र शासित प्रदेश की लोक कलाओं पर आधारित होना चाहिये।

- 2- लोक कलाकार की आयु आवेदन की अंतिम तिथि को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये । यदि किसी कलाकार को किसी भी अन्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंन्द्र अथवा संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली अथवा लिलत कला अकादमी नई दिल्ली अथवा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से कोई ऐसा पुरस्कार मिला है जिसमें नगद राशि (राशि चाहे कितनी भी हो) दी जाती हो अथवा किसी भी श्रेणी का कोई पदम सम्मान मिला हो तो ऐसे लोक कलाकार इस प्रस्कार के लिये अपात्र होंगें।
- 3- लोक कलाकार को भारतीय नागरिक होना चाहिये।
- 4- पुरस्कार की संख्या लोक कलाओं पर कार्य करने वाले कलाकारों को दिये जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या 2 (दो) होगी जो प्रतिवर्ष दिये जायेंगें ।
- 5- चूंकि यह पुरस्कार लोक कलाओं पर आधारित पुरस्कार हैं अतः लोक कलाकार का मूल पेशा लोक कलायें ही होना चाहिये अथवा कार्य लोक कला के प्रति समर्पित होना चाहिये, आकस्मिक किये गये कार्य अथवा अन्य कोई आकस्मिक उपलब्धि इस पुरस्कार के लिये योग्यता नहीं बन सकती।
- 6- पुरस्कार राशि प्रत्येक पुरस्कार की राशि रू. 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) होगी। पुरस्कार प्राप्तकर्ता को रू. 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) की पुरस्कार राशि का चेक एवं रजत पट्टिका समारोह पूर्वक प्रदत्त किये जायेगें।
- 6(क) यदि एक पुरस्कार हेतु एक से अधिक लोक कलाकार का चयन किया जाता है तो यह राशि उन सभी को समान रूप से बांटी जायेगी।
- 6(ख) यह पुरस्कार की राशि उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंन्द्र के अध्यक्ष और पंजाब के महामहिम राज्यपाल के द्वारा उनके कोष से दी जायेगी ।
- 6(ग) समारोह में आने-जाने एवं प्रवास (प्रत्येक पुरस्कार विजेता हेतु अधिकतम दो व्यक्ति) का व्यय उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा वहन किया जायेगा।

- 6(घ) यदि पुरस्कार / सम्मान की राशि पर किसी प्रकार का आयकर देय होगा तो उसका नियमानुसार टीडीएस काटा जा सकेगा ।
- 7- पिछले दस वर्षों में सिक्रिय पुरस्कार उसी व्यक्ति हो दिया जा सकेगा जो कम से कम पिछले दस वर्षों में लोक कलाओं के संरक्षण एवं उन्नयन में प्रमुखता से सिक्रिय रहा हो तथा अपना जीवन लोक कलाओं हेत् समर्पित कर दिया हो।
- 8- पुरस्कार समिति पुरस्कार हेतु चयन का कार्य इस आशय हेतु गठित पुरस्कार समिति द्वारा किया जायेगा। समिति का गठन अध्यक्ष, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंन्द्र एवं माननीय राज्यपाल, पंजाब द्वारा किया जायेगा। जिसमें केन्द्र के सदस्य राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेश के तीन लोक कला मर्मज्ञ सम्मलित होगें।
- 8(क) समिति में पांच सदस्य होगें तथा इसके अध्यक्ष पंजाब राज्यपाल महोदय के सचिव/प्रमुख सचिव होंगे तथा सदस्य सचिव निदेशक, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंन्द्र होंगें।
 - 8(ख) समस्त निर्णय बहुमत से लिये जा सकेंगें।
- 9- पुरस्कार हेतु आवेदन पुरस्कार हेतु आवेदन समाचार पत्रों के माध्यम से मंगवाये जायेगें तथा प्राप्त आवेदनों पर समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात सिफारिश की जायेगी।
- 9(क) समिति को पूर्ण अधिकार होगा कि वह प्राप्त आवेदनों के अतिरिक्त भी किसी भी नाम पर विचार कर सिफारिश कर सके परंतु उसके लिये कारणों को दर्ज करना होगा।
- 9(ख) यदि किसी वर्ष पुरस्कार समिति को पुरस्कार हेतु कोई उपयुक्त कलाकार नहीं मिलता है तो आवश्यक नहीं कि उस वर्ष पुरस्कार दिया ही जाये ।
- 10- पुरस्कार हेतु आवेदन के विज्ञापन का प्रारूप सदस्य सचिव द्वारा तैयार किया जाकर, सचिव / प्रमुख सचिव राज्यपाल के कार्यालय भिजवाया जायेगा जो अनुमोदन की अवस्था में राज्यपाल सचिवालय द्वारा उत्तर क्षेत्र के राज्यों में विज्ञापित किया जायेगा साथ ही केंन्द्र की

वेबसाइट तथा सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इसको शेयर किया जा सकेगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी हो सके ।

11- अन्तिम निर्णय - समिति द्वारा चयनित नामों की सिफारिश माननीय राज्यपाल, पंजाब एवं अध्यक्ष, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र को बंद लिफाफे में प्रेषित की जायेगी जिन्हें उस सिफारिश को स्वीकार करने, अस्वीकार करने अथवा पुर्निवचार करने हेतु समिति को वापस भिजवाने का पूर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष महोदय का निर्णय अंतिम होगा जिसको किसी भी न्यायिक कार्यवाही के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

12-पारदर्शिता एव गोपनीयता - पुरस्कार के आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी रखा जायेगा तथा चयन समिति की सिफारिश लिपिबद्ध की जायेंगीं परंतु पुुरस्कार हेतु चयनित कलाकार मर्मज्ञ के मान और सम्मान हेतु अंतिम घोषणा तक चयनित नाम को सभी पक्षों द्वारा गोपनीय रखा जायेगा।